सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–**cm-223**
12/05/2017

ह्यूमन ट्रैफिकिंग को पूर्णतः समाप्त करने के लिये क्षेत्रीय असंतुलन, आर्थिक असमानता, सामाजिक विषमता को दूर करना होगा :– मुख्यमंत्री

पटना, 12 मई 2017 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज स्थानीय मौर्या होटल में आयोजित छठे वार्षिक एंटी ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स कॉनक्लेब को संबोधित करते हुये कहा कि देश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, संगठित अपराध और सामाजिक बुराई के रूप में सभ्य समाज के सामने गंभीर चुनौती है। उन्होंने इस कॉनक्लेब के आयोजकों– अमेरिकन कॉन्सुलेट जनरल कोलकाता, स्वयंसेवी संगठन शक्तिवाहिनी एवं बांग्ला नाटक को बधाई दी और कहा कि कॉनक्लेब के आयोजन के लिये बिहार की राजधानी पटना का चुनाव करने एवं इसमें बात रखने के लिये मुझे आमंत्रित करने के लिये मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कारोबार के संबंध में यह बराबर सुनने को मिलता है कि गरीब लोगों को बहला–फुसलाकर खासकर उनकी लड़कियों को रोजगार के नाम पर ले जाते हैं और बाद में उनका शोषण एवं अत्याचार करते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने राज्य के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था तो इसकी समीक्षा की और इसकी ओर जबर्दस्त ध्यान दिया गया। 2008 में इस संबंध में विधिवत नीति एवं कार्यक्रम तैयार किये गये। इससे संबंधित जितने विभाग थे, सभी को इस कार्य में लगाया गया। समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग एवं पुलिस विभाग ने ढ़ेर सारी कार्रवाइयॉ की। उन्होंने कहा कि हमारे यहॉ बाल संरक्षण आयोग भी बना हुआ है। प्रखण्ड स्तर तक कमिटी बनी हुयी है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो बॉडर एरिया हैं, खासकर नॉर्थ–ईस्ट के इलाके में यह काम ज्यादा होता है। उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करते हैं, वे ज्यादातर नेपाल, बंगाल, असम से बच्चों को लाते हैं। उन्होंने कहा कि गैर सरकारी संगठनों ने इसकी निगरानी की है। हमारी सरकार इन मामलों में शुरू से ही संवेदनशील रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में चुस्ती आयी है। अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जो बच्चे गायब होते हैं, ऐसे मामलों में अपहरण की धारा भी लगायी जाती है। उन्होंने कहा कि बिहार अपराध के मामले में 22वें नंबर पर है किन्तु बिहार में जब कोई एक छोटा अपराध होता है तो उसे दुष्प्रचारित किया जाता है और छोटी–छोटी घटनाओं को भी उभारा जाता है। उन्होंने कहा कि बिहार की छवि बिगाड़ने में बिहार के बाहर के लोग नहीं बल्कि यहीं के चंद लोग हैं। उन्होंने कहा कि हम सब भारतीय हैं, भारतीय होने पर हमें गर्व है। हम शिकायत नहीं करना चाहते किन्तु सबसे ज्यादा अपराध देश की राजधानी दिल्ली में होता है। उन्होंने कहा कि वहॉ विधि व्यवस्था नियंत्रण का कार्य दिल्ली सरकार का नहीं है बल्कि केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय के अन्तर्गत आता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल श्रम में हमलोग सख्त कदम उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो बच्चे रेसक्यू किये जाते हैं, उनके पुनर्वास के लिये समुचित व्यवस्था की गयी है। उन्होंने कहा कि बाल श्रमिक को रेसक्यू के पश्चात केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत पुनर्वास हेतु अठारह सौ रूपये देने का प्रावधान था, जो बाद में तीन हजार रूपये हुआ। समीक्षा के क्रम में मैंने कहा कि इतनी कम राशि से पुनर्वास कैसे हो सकता है। उन्होंने

कहा कि पूरे तौर पर इसका अनुश्रवण किया गया और यह निर्णय लिया गया कि ऐसे बाल श्रमिक जिसका रेसक्यू किया जाय, उस बाल श्रमिक एवं अभिभावक के नाम से 25 हजार रूपये की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जायेगी।

मुख्यमंत्री ने प्रश्नवाचक लहजे में कहा कि ऐसी चीजें क्यों होती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय असंतुलन के शिकार जो राज्य हैं, वहॉ ऐसी घटनायें जयादा होती है। गरीब तबके के लोग जो आजीविका ठीक से नहीं चला पाते, उनके लिये समस्यायें होती है और इस धंधे में लगे लोग ऐसे परिवारों को टारगेट करते हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय असंतुलन, आर्थिक असमानता, सामाजिक विषमता को दूर करना होगा, यह जब तक दूर नहीं होगा, तब तक इस तरह के अपराध होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि गैर सरकारी संगठन इस काम में लगे हुये हैं और रेसक्यू एवं पुनर्वास के साथ–साथ जागरूकता का भी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज सुधार में जब तक लोग भागीदार नहीं बनेंगे, तब तक इस तरह की कुरीति दूर नहीं होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल श्रमिकों के पुनर्वास का काम राज्य सरकार मजबूती से कर रही है। उन्होंने कहा कि दहेज प्रथा गैर कानूनी है किन्तु खूब प्रचलित है। उन्होंने कहा कि दहेज प्रथा का प्रकोप पहले कुछ जातियों में था किन्तु अब वैसी जातियों में भी कुरीति फैल रही है कि जो कमजोर तबके के लोग हैं। उन्होंने कहा कि समाज में विकृति फैल रही है। लोग जब आगे बढ़ते हैं तो अच्छी चीजों के अनुसरण के साथ–साथ बड़े लोग क्या करते हैं और उनकी गलत आदतों को भी अनुसरण कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि बाल विवाह के विरूद्ध सशक्त अभियान चलाने के साथ–साथ जरूरी उपाय किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक बिन्दुओं जैसे– स्वास्थ्य, शिक्षा एवं समाज कल्याण के क्षेत्र में जागरूकता पैदा की गयी है। राज्य में अपराध घटा है। शराबबंदी से पहले भी बिहार में अपराध कम था लेकिन शराबबंदी के बाद अपराध लगातार घट रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 2012 से 2016 तक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के 322 रेसक्यू ऑपरेशन किये गये, जिसमें 1,481 पीड़ित रेसक्यू किये गये और 1,022 ह्यूमन ट्रैफिकर्स गिरफ्तार किये गये। उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों में राज्य में 8,327 बच्चे लापता हुये, जिनमें 5,256 को ढूँढ़ निकाला गया और शेष 3,071 को ढूँढ़ने के लिये काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार में कोई विभाग शांति से नहीं बैठ सकता। उन्होंने शराब का उदाहरण देते हुये कहा कि सुनने में आ रहा था कि इधर–उधर से शराब आ रही है। लाखों लीटर शराब जब्त कर रखा हुआ था। एक–डेढ़ महीने में थोड़ी सुस्ती आयी थी। उन्होंने कहा कि जब्त शराब को न्यायालय को सूचित कर बिनष्ट किया गया और दो दिनों में जबर्दस्त कार्रवाई हुयी है। उन्होंने कहा कि कहीं भी कोई चीज आदर्श नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी के चम्पारण सत्याग्रह का यह सौंवा साल है। मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा क्योंकि आदमी बुरा नहीं होता, वह बुराई का शिकार हो सकता है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बाद नशाबंदी के पक्ष में चार करोड़ लोगों ने मानव श्रृंखला में हिस्सा लिया। समाज सुधार के क्षेत्र में बड़े–बड़े काम हुये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी चेतना के क्षेत्र में कई कार्य हुये हैं। गरीबी के कारण मॉ–बाप प्राथमिक शिक्षा के बाद लड़कियों को आगे पढ़ने के लिये स्कूल नहीं भेजते थे, इसे देखते हुये बालिका पोशाक योजना की शुरूआत की गयी। इससे तत्क्षण लड़कियों की संख्या विद्यालयों में बढ़ गयी। उन्होंने कहा कि लड़कियों को इसके आगे पढ़ना चाहिये, इसके लिये कक्षा 9 में पढ़ रही लड़कियों के लिये बालिका साइकिल योजना की शुरूआत की गयी। उन्होंने कहा कि पहले कक्षा 9 में पढ़ रही लड़कियों की संख्या एक लाख 70 हजार थी जो आज बढ़कर नौ लाख से ज्यादा हो गयी है। पहले पटना शहर में भी लड़कियों को साइकिल चलाते हुये नही देखा जाता था। आज गॉव–गॉव में लड़कियॉ समूह में साइकिल चलाकर स्कूल जा रही है। लोगों की सोच एवं मानसिकता बदली है। उन्होंने कहा कि आज भी

समाज में नवजात लड़का बीमार पड़ता है तो मॉ–बाप तत्परता से उसका इलाज कराते हैं किन्तु नवजात लड़की पर उतना ध्यान नहीं देते, इसके लिये भी सशक्त अभियान चलाये जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जन चेतना को जगाना होगा, गरीब–गुरबा को यह एहसास दिलाना होगा कि कोई आपके बच्चे को ले जा रहा है तो वह उसका शोषण करेगा। उन्होंने कहा कि आज सरकार की इतनी योजनायें चल रही है कि अब कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मर सकता किन्तु हर व्यक्ति तक एक–एक बात नहीं पहुॅचाया जा सकता। सिर्फ सरकारी तंत्र से लोगों को दुरूस्त नहीं किया जा सकता बल्कि इसके लिये जन चेतना जगाना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग पब्लिसिटी मास्टर होते हैं किन्तु मेरा काम है कर्तव्य करना। बिहार पहला राज्य है, जहॉ पंचायती राज एवं नगर निकायों में महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया। दो–तीन साल बाद देश के कई राज्यों को यह मालूम हुआ कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में महिलाओं के लिये पचास प्रतिशत आरक्षण है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने पुलिस बल में तीस प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित करने का सुझाव दिया है। बिहार में यह पूर्व से 35 प्रतिशत है और अब तो सभी सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिये 35 प्रतिशत स्थान सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त करने के लिये हर गॉव में स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। शराबबंदी में इनकी अहम भूमिका रही है। हमने स्वयं सहायता समूहों को स्कूलों की भी निगरानी करने को कहा है। वे जो रिपोर्ट भेजती हैं, उस पर कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि शराबबंदी से पर्यटक नहीं आयेंगे। उन्होंने कहा कि बोधगया एवं नालंदा में पर्यटक शराब पीने नहीं आते। उन्होंने कहा कि 2015 की तुलना में 2016 में घरेलू पर्यटकों की संख्या में 68 प्रतिशत तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। उन्होंने कहा कि हम प्रचार नहीं चाहते, बाल श्रमिक की समस्या हो या ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, इसको हमलोग गंभीरता से लेते हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ह्यूमन ट्रैफिकिंग के संबंध में एक्ट का ड्राफ्ट कर चुकी है। उन्होंने कहा कि कानून जल्दी आये किन्तु कानून अपना काम करेगा, साथ–साथ लोगों के बीच अभियान चलाना होगा। उन्होंने कहा कि चम्पारण सत्याग्रह के सौंवें साल पर पूरे राज्य में गॉधी जी के विचारों का प्रचार कर रहे हैं। घर–घर दस्तक देकर गॉधी जी के विचारों को पहुॅचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कुरीतियों के प्रति जागरूकता लाने के लिये भी जबर्दस्त अभियान चलेगा और कानून में सख्ती की जरूरत होगी तो वह भी किया जायेगा। उन्होंने कहा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जघन्य अपराध है और इस प्रकार के अपराध को किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार संबंधित विभागों के माध्यम से इसके खात्मे का प्रयास कर रही है। साथ ही गैर सरकारी संगठनों को भी संयुक्त प्रयास करना होगा और तभी हम इस चीज पर पूरे तौर पर काबू कर पायेंगे। उन्होंने कहा कि यह सब प्रयास करना है किन्तु समाज में जो ऊॅच–नीच, गैर और गैर बराबरी का वातावरण है, उसको पाटना होगा, इसके लिये प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में सिर्फ विकास नहीं बल्कि हम न्याय के साथ विकास करते हैं। लोगों के विकास के लिये जो योजनायें बनती हैं, वह यूनिवर्सल होती है। हमारी सात निश्चय की योजनायें भी सभी के लिये है। उन्होंने कहा कि साइकिल योजना भी सभी के लिये है। उन्होंने कहा कि इसकी परिकल्पना तब हुयी, जब समविकास योजना के तहत अनुसूचित जाति की 180 लड़कियों को साइकिल वितरण कार्यक्रम में मैं गया था। उन्होंने कहा कि इसके पश्चात मेरे मन में आया कि हम सभी वर्गों के लिये ऐसा क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि तत्क्षण मैंने मुख्य सचिव, वित्त एवं शिक्षा विभाग के सचिव के साथ वार्ता की और यह योजना सभी वर्गों के लिये लागू कर दी गयी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एंटी ट्रैफिकिंग के क्षेत्र में जो प्रयास आयोजकों द्वारा किया गया है, उसे वे तार्किक परिणति तक पहुॅचायें। सरकार पूरे तौर पर सहयोग करेगी।

इसके पूर्व यू0एस0 काउंसलर जनरल, यू0एस0 कॉन्सलेट कोलकाता श्री ग्रेग हॉल ने भी कॉनक्लेव को संबोधित किया। इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्री श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, मंच संचालक एवं वरिष्ठ पत्रकार श्री जयशंकर गुप्ता, गैर सरकारी संगठन शक्तिवाहिनी के श्री रविकांत, बांग्ला नाटक के अनन्या भट्टाचार्य, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, नेपाल एवं बांग्लादेश के अतिथिगण, समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री अतुल प्रसाद, अपराध अनुसंधान विभाग के अपर पुलिस महानिदेशक श्री विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अतीश चन्द्रा, जिलाधिकारी पटना श्री संजय कुमार अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

******